न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2016/00056 (291/2016) 225 आरटीएक्ट

1. रामेश्वर
2. रामचन्द्र } पुत्रगण रामरख जाति जाट सा0 बहलोलनगर
3. राजाराम } तहसील व जिला हनुमानगढ
4. रूकमणी पत्नी स्व श्योपतराम } जाति जाट सा0 बहलोलनगर तहसील व
5. नरेन्द्र पुत्र श्योपतराम } व जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.11.2016 द्वारा उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ प्र. सं. 336/2016

श्री देवदत भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरणसिंह खोसा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांकः–24.06.2019

1. उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ ने तहसीलदार भू अभिलेख के पत्रांक भू–अ/रास्ता अति0 अभियान/2016 एसपी 8 दिनांक 28.10.2016 के द्वारा पटवार मण्डल बहलोलनगर व भू– अभिलेख निरीक्षक कमाना की रिपोर्ट के आधार पर पटवार मण्डल बहलोलनगर के चक 43 एसएसडब्ल्यू के प. नं. 68/313 (29) किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025 है. भूमि के में रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने की अनुमति एवं अनुशंषा प्रस्तावित की। उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 11.11.2016 के द्वारा प्रश्नगत रास्ता के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गइ।
3. बिद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाधीन आदेश बिना किसी मौक की जांच किए व बिना प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना पत्रावली का अवलोकन किये पारित किया गया है। प्रश्नंगत रास्ता मौके पर चालू होना मानकर स्वीकृत किया है परन्तु अपीलाण्ट को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया व न ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया केवल तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर बिना कोई मौका देखे रास्ता स्वीकृत कर दिया है। जिस मु. नं. 29 के किला नं. 1 ता 5 में रास्ता चालू होना माना है वह उक्त किला में रास्ता न चालू है न ही स्वीकृत है बल्कि उक्त रकबे में पक्का खाला बना हुआ है जो चालू है। इस रकबे के उत्तर में चिपते हुए 43 एसएसडब्ल्यू के प. नं. 68/312 (24) के किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक में .025 हैक्टर रास्ता स्वीकृत है इसलिए अपीलाण्ट की भूमि में किसी रास्ते की कोई आवश्यकता भी नहीं है व ना ही उक्त रास्ता की किसी व्यक्ति द्वारा मांग की गई व ना ही उक्त रास्ता की आवश्यकता है। बिना मौके रिपोर्ट देखे अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रभावित पक्षकार है अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय पारित किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधीवक्ता ने राज्यहितों को सुरक्षित रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने का कथन किया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार अपीलाधीन आदेश के द्वारा रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश दिया है। अपीलाण्ट का कथन है कि43 एसएसडब्ल्यू प0 नं0 68/313 (29) 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025 है0 मौका पर पक्का खाला चालू है। प. नं. 68/312 (24) के किला नं. 21 ता 25 में मौका पर रास्ता स्वीकृत है इस स्वीकृत शुदा रास्ता से चिपती हुई अपीलाधीन निर्णय से किला नं. 1 ता 5 में रास्ता स्वीकृत किया गया है जो बिना निरीक्षण किये किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार की रिपोर्ट संलग्न है। इस रिपोर्ट में तहसीलदार ने ये अंकित नहीं किया है कि मु. नं. 29 के किला नं. 1 से 5 के उत्तर या दक्षिण में किस तरफ रास्ता स्वीकृत किया जाना है। रिपोर्ट नजरी नक्शा पेश की है उसमें इन किलों में गैर मुमकिन खाला रिकार्ड में दर्ज है। इसी तरह कि मु. नं. 24 के किला नं. 21 ता 25 में स्वीकृत रास्ता है जो रिकार्ड में दर्ज है। प्रस्तावित स्वीकृत रास्ता स्वीकृत करते समय करते वक्त राजस्व रिकार्ड नहीं देखा गया है न ही ये अंकित किया गया है कि मु. नं. 29 का किला नं. 1 ता 5 में रास्ता उत्तर या दक्षिण में किस दिशा में स्वीकृत किया गया है। जबकि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है जिसमें खाला भी चल रहा है और उसे बिना सुने रास्ता रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। इसलिए अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है और अधीनस्थ न्यायालय में आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई और अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही मिला है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार की जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि वह प्रश्नगत रास्ते खाले के तथ्यों के संबंध में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

7. ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मु. नं. 24 के किला नं. 21 से 25 में पूर्व से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते एवं अपीलाधीन आदेश से स्वीकृत रास्ते, मौके पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज खाले की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

24/6/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)